न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 45/2020 राजस्व अपील

1. मण्डू पुत्र श्री सांवता जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 04.01.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मण्डू मु. नं. 15/17 अ. धारा 91 राज. भू राज. अधिनियम

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कसाना अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

दिनांक: 26.08.2020

—: निर्णय :—

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का मोहचिंगपुरा द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट ने ग्राम मोरोली की चरागाह भूमि आराजी खसरा नं. 580, 613 रकबा 0.31 है. पर सम्वत 2074 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 04.01.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 04.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस की प्रार्थी अपीलान्ट को व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई है, न ही नोटिस तामील हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण

अति. जिला कलक्टर
दौसा

नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने कौनसी फसल काश्त की है। अपीलान्ट को पटवारी से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया है और ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 04.01.2018 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2074 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक गै. मु. बांध की भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.25 है. एवं गै. मु. नदी की भूमि खसरा नं. 613 रकबा 0.06 है. पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 04.01.2018 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 04.01.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने सम्वत 2074 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक गै. मु. बांध की भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.25 है. एवं गै. मु. नदी की भूमि खसरा नं. 613 रकबा 0.06 है. पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.01.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2018 मुकदमा नम्बर 15/2017 उनवानी सरकार बनाम मण्डू यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official